भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3871

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

भाषिणी आधारित ई-श्रम पोर्टल

3871. डॉ. संजय जायसवाल:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किन्हीं पहलों पर विचार किया है ताकि ई-श्रम पोर्टल का उनकी पंसदीदा भाषा में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह देखते हुए कि ई-श्रम पोर्टल अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध है, सरकार की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए भविष्य में अतिरिक्त भाषाओं अथवा क्षेत्रीय बोलियों को शामिल करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ईश्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

ई-श्रम पोर्टल तक पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए दिनांक 7 जनवरी 2025 को ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता का शुभारंभ किया। यह संवर्धन अब कामगारों को ईश्रम पोर्टल के साथ 22 भारतीय भाषाओं में बातचीत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच में सुधार होता है और सभी के लिए समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।

*****